

वधिनसभल में आरक्षण संशोधन बलि-2023 पास

चर्चा में क्यों?

9 नवंबर, 2023 को बहिर वधिनसभल में आरक्षण संशोधन बलि-2023 पास हो गल। इसके अस्तत्व में आने पर एससी, एसटी और पछिड़ा वर्गों कल आरक्षण कल दलरल बढ़ जलएगल।

प्रमुख बदि

- बहिर वधिनसभल ने सर्वसम्मतसे बहिर पदों एवं सेवलओं की रकित्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जलतियों, अनुसूचित जलतियों एवं अन्य पछिड़ा वर्गों के लयि) अधनियिम और बहिर (शैक्षणिक संस्थानों में) आरक्षण अधनियिम में संशोधन की मंजूरी दे दी।
- संशोधति अधनियिम के तहत दोनों मलमलों में अनुसूचित जलतियों को 20 फीसदी, अनुसूचित जनजलतियों को दो फीसदी, पछिड़ा वर्ग को 18 फीसदी और अत्यंत पछिड़ा वर्ग को 25 फीसदी सहति कुल 65 फीसदी आरक्षण रहेगल। इसके अलवल केंद्रीय अधनियिम के तहत पहले से स्वीकृत इडब्लूएस (आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों) को 10 फीसदी कल आरक्षण मललतल रहेगल।
- 10 नवंबर को यह दोनों वधियक बहिर वधिन परषिद में पेश कयि जलयेंगे। वधिन परषिद में पास होने के बलद बहिर की सरकलरी नौकरतियों और शैक्षणिक संस्थानों के नलमलंकन में 75 फीसदी आरक्षण मललैगल।



